मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २१ सन् २०२१

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, २०२१

विषय-सूची.

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

२. धारा ४८-क का संशोधन.

३. धारा ४९ का संशोधन.

४. धारा ५२ का संशोधन.

५. धारा ५३ का संशोधन.

६. निरसन तथा व्यावृत्ति.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २१ सन् २०२१

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, २०२१

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, १९६० को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, २०२१ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा ४८-क का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, १९६० (क्रमांक १७ सन् १९६१) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ४८-क में, उपधारा (४) में,—

(एक) खण्ड (क) में, शब्द "संसद या विधान सभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हो जाता है या " का लोप किया जाए.

(दो) खण्ड (ख) का लोप किया जाएं.

धारा ४९ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा ४९ में, उपधारा (७-क) में, खण्ड (ख) में, प्रथम परंतुक में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कॉलन स्थापित किया जाए और उसके पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"परन्तु यह और कि किसी शीर्ष अथवा केन्द्रीय सोसाइटी की दशा में, यदि रजिस्ट्रार की राय में, प्रशासक को उसके पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए समिति गठित की जाना आवश्यक है, तो रजिस्ट्रार, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनने वाली एक समिति नियुक्त कर सकेगा, अर्थात् :—

(क) उक्त सोसाइटी के अधिकतम तीन सदस्य जो सोसाइटी के संचालक मंडल के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अर्ह हों;

(ख) रजिस्ट्रार का एक प्रतिनिधि;

(ग) वित्तपोषक संस्थाओं का एक प्रतिनिधि.".

धारा ५२ का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा ५२ में, उपधारा (५) में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(क) सहकारी साख संरचना में राज्य सरकार की अंश पूंजी के लिये अधिकतम सीमा ऐसी होगी जैसी कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाए;".

धारा ५३ संशोधन.

५. मूल अधिनियम की धारा ५३ में, —

(एक) उपधारा (१) में, प्रथम परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''परन्तु यह और कि किसी शीर्ष अथवा केन्द्रीय सोसाइटी की दशा में, यदि रजिस्ट्रार की राय में, प्रशासक को उसके पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए समिति गठित की जाना आवश्यक है, तो रजिस्ट्रार, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनने वाली एक समिति नियुक्त कर सकेगा, अर्थात् :—

(क) उक्त सोसाइटी के अधिकतम तीन सदस्य जो सोसाइटी के संचालक मंडल के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अर्ह हों;

(ख) रजिस्ट्रार का एक प्रतिनिधि;

(ग) वित्तपोषक संस्थाओं का एक प्रतिनिधि.''.

(दो) उपधारा (१२) में, प्रथम परन्तुक में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कॉलन स्थापित किया जाए और उसके पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''परन्तु यह और कि किसी शीर्ष अथवा केन्द्रीय सोसाइटी की दशा में, यदि रजिस्ट्रार की राय में, प्रशासक को उसके पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए समिति गठित की जाना आवश्यक है, तो रजिस्ट्रार, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनने वाली एक समिति नियुक्त कर सकेगा, अर्थात् :—

(क) उक्त सोसाइटी के अधिकतम तीन सदस्य जो सोसाइटी के संचालक मंडल के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अर्ह हों;

(ख) रजिस्ट्रार का एक प्रतिनिधि;

(ग) वित्तपोषक संस्थाओं का एक प्रतिनिधि.''.

निरसन तथा व्यावृत्ति.

६. (१) मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, २०२१ (क्रमांक १२ सन् २०२१) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसित होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात, या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

उद्देश्यों के कारणों का कथन

राज्य में सहकारी संचालन को सशक्त और विकसित किए जाने हेतु, राज्य की सहकारी सोसाइटियों द्वारा समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा किसानों को वित्तीय सहयोग तथा सहायता का विस्तार करने तथा राज्य की वित्तीय स्थिति में वांछित सुधार लाने की दृष्टि से सहकारी सोसाइटियों के क्षेत्र में लोकतांत्रिक नेतृत्व हेतु प्रतिनिधित्व के व्यापक अवसर उपलब्ध कराए जाना प्रस्तावित हैं. यह और प्रस्तावित है कि रजिस्ट्रार को, प्रशासक को उसके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए एक समिति नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत किया जाए.

२. सहकारी साख संरचना की वित्तीय स्थिति को सशक्त करने तथा उसके अन्य उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु, यह प्रस्तावित है कि राज्य सरकार सहकारी साख संरचना में राज्य की अंश पूंजी की सीमा, अधिकतम सीमा को हटाकर जो कि वर्तमान में केवल २५% तक है, नियत कर सकेगी. अतएव, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, १९६० (क्रमांक १७ सन् १९६१) को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है.

३. चूंकि मामला अत्यावश्यक था तथा विधानसभा का सत्र चालू नहीं था, अतएव, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, २०२१ (क्रमांक १२ सन् २०२१) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था. अब उक्त अध्यादेश के स्थान पर, राज्य विधान-मण्डल का अधिनियम बिना किसी उपांतरण के लाया जाना प्रस्तावित है.

४. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख २ मार्च, २०२१

डॉ. अरविन्द सिंह भदौरिया
भारसाधक सदस्य.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के खण्ड ४ द्वारा सहकारी साख संरचना में राज्य सरकार की अंशपूंजी के लिये अधिकतम सीमा अधिसूचित किए जाने के संबंध में विधायनी शक्ति का प्रत्यायोजन राज्य सरकार को किया जा रहा है, जो सामान्य स्वरुप का होगा.

अध्यादेश के संबंध में विवरण

प्रदेश में सहकारी सोसाइटियों के क्षेत्र में लोकतांत्रिक नेतृत्व हेतु प्रतिनिधित्व के व्यापक अवसर उपलब्ध कराये जाने के प्रावधान के साथ रजिस्ट्रार को किसी शीर्ष अथवा केन्द्रीय सोसाइटी में नियुक्त प्रशासक को उसके पदीय कर्तव्यों के निवर्हन में सहायता देने हेतु एक समिति नियुक्त करने के लिये प्राधिकृत किये जाने और सहकारी साख संरचना में राज्य शासन द्वारा दी जाने वाली अंशपूंजी की अधिकतम सीमा राज्य शासन द्वारा नियत करने संबंधी प्रावधान सहकारी अधिनियम में किये जाना आवश्यक हो गए थे.

२. अतः तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुये तथा विधान सभा का सत्र चालू नहीं होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, २०२१ (क्रमांक १२ सन् २०२१) उक्त उद्देश्यों को पूरा करने हेतु प्रख्यापित किया गया था.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

उपाबंध

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम १९६० (क्रमांक १७ सन् १९६१) से उद्धरण.

* * * * *

४८-क (४) (क) कोई भी व्यक्ति, किसी सोसाइटी के अध्यक्ष या सभापति या उपाध्यक्ष या उप सभापति के रूप में निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा, यदि वह संसद् या विधान सभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हो जाता है या जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, नगरीय स्थानीय निकाय, मण्डी बोर्ड या मण्डी समिति में किसी पद पर निर्वाचित हो जाता है:

परन्तु यदि कोई भी व्यक्ति किसी सोसाइटी के अध्यक्ष या सभापति या उपाध्यक्ष या उप सभापति का पद धारण करता है और वह जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, नगरीय स्थानीय निकाय, मण्डी बोर्ड या मण्डी समिति में किसी पद पर निर्वाचित हो जाता है, तो सोसाइटी का अध्यक्ष या सभापति या उपाध्यक्ष या उप सभापति उस तारीख से, जिसको वह निर्वाचित घोषित किया जाता है, कार्य करना बंद कर देगा तथा वह पद उपरोक्त तारीख से स्वत: रिक्त हो जाएगा.

(ख) किसी सोसाइटी का कोई सदस्य जो कि संसद् अथवा विधान सभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित है या जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, नगरीय स्थानीय निकायों, मण्डी बोर्ड या मण्डी समिति में किसी पद पर निर्वाचित है, किसी सोसाइटी के संचालक या प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित किया जा सकेगा.

* * * * *

धारा ४९ (७-क) (क) संचालक मंडल का कार्यकाल उस तारीख से, जिसको कि संचालक मंडल का प्रथम सम्मिलन किया जाता है, पांच वर्ष होगा.

(ख) संचालक मंडल के कार्यकाल के ५ वर्ष पूर्ण हो जाने पर, संचालक मंडल के सदस्यों के पद ऐसे दिन से स्वत: रिक्त हो गए समझे जाएंगे और रजिस्ट्रार या उसके द्वारा नियुक्त किया गया प्रशासक प्रभार ग्रहण कर लेगा और छह मास की कालावधि के भीतर संचालक मंडल के सदस्यों का निर्वाचन करवाएगा:

परन्तु सहकारी बैंक की दशा में, रजिस्ट्रार या प्रशासक एक वर्ष की कालावधि के भीतर बैंक के संचालक मंडल के सदस्यों का निर्वाचन करवाएगा.

* * * * *

धारा ५२ (५) इस उपधारा में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(क) सहकारी साख संरचना के मामले में राज्य सरकार की अंशपूंजी पूरोधृत साधारण अंशपूंजी के पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी;

(ख) सहकारी बैंक के मामले में, यदि राज्य सरकार ने बैंक की अंशपूंजी में अभिदाय किया है, तो बैंक के संचालक मंडल में राज्य सरकार का केवल एक नामनिर्देशिती होगा;

(ग) प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी के संचालक मंडल में राज्य सरकार का कोई भी नामनिर्देशिती नहीं होगा.

धारा ५३ (१) यदि रजिस्ट्रार की राय में किसी सोसाइटी का संचालक मंडल,—

(क) निरन्तर व्यतिक्रम करता है; या

(ख) इस अधिनियम या उस सोसाइटी की उपविधियों द्वारा या उनके अधीन या रजिस्ट्रार द्वारा पारित किए गए किसी विधिपूर्ण आदेश द्वारा उस पर अधिरोपित किए गए कर्तव्यों का पालन करने में उपेक्षावान है या ऐसे कर्तव्यों का पालन करने के लिए रजामंद नहीं है; या

(ग) ऐसे कार्य करता है जो इस सोसाइटी या उसके सदस्यों के हितों के प्रतिकूल हैं; या

(घ) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों या सोसाइटी की उपविधियों के उपबंधों का या रजिस्ट्रार द्वारा पारित किसी आदेश का अतिक्रमण करता है; या

(ङ) किसी सोसाइटी के संचालक मंडल के गठन में या कृत्यों में कोई गतिरोध है, या तो रजिस्ट्रार, लिखित में आदेश द्वारा संचालक मंडल को हटा सकेगा और सोसाइटी के क्रियाकलापों का प्रबंध करने के लिए एक विनिर्दिष्ट कालावधि के लिये जो छह मास से अधिक नहीं होगी और सहकारी बैंक की दशा में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी, एक प्रशासक नियुक्त कर सकेगा:

परन्तु विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार लिखित में कारण अभिलिखित करते हुए प्रशासक की पदावधि कुल एक वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए बढ़ा सकेगी:

* * * * *

(१२) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गये नियमों या सोसाइटी की उपविधियों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि सोसाइटी का संचालक मंडल किसी न्यायालय के आदेश के कारण या विहित गणपूर्ति के अभाव में कार्य करने से प्रविरत हो जाए, तो रजिस्ट्रार उस समय तक के लिए संचालक मंडल के स्थान पर प्रशासक को अस्थाई रूप से नियुक्त कर सकेगा जब तक कि न्यायालय का आदेश बातिल न हो जाए या नवीन निर्वाचन न हो जाए तथा संचालक मंडल कार्यभार ग्रहण न कर ले:

परन्तु यदि सोसाइटी यथाविहित गणपूर्ति के अभाव में कार्य करने से प्रविरत हो जाए तो रजिस्ट्रार द्वारा इस प्रकार नियुक्त किया गया प्रशासक छह माह की कालावधि के भीतर और सहकारी बैंक की दशा में ऐसे प्रशासक की नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के भीतर, निर्वाचन कराएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि संचालक मंडल प्रभार ग्रहण करें:

* * * * *

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.